

लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अधीन प्रकटीकरण की पारदर्शिता लेखा परीक्षा (पारदर्शिता लेखा परीक्षा की संरचना)

दिनांक 10.05.2024 तक लेखा परीक्षा बिंदु 1.11 से संबंधित विवरण

क्र.सं	मद	प्रकटीकरण के विवरण	टिप्पणी/संदर्भ बिंदु (पूर्णतया किया गया/आंशिक रूप से पूरा किया गया/नहीं किया गया - लागू नहीं होने को पूर्णतया/आंशिक रूप से पूरा किया गया माना जाएगा)
1.11	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है/की गई है (धारा 4(2)) - शून्य	(i) छोटी अथवा बड़ी शास्ति के लिए लंबित कार्रवाई	पूर्णतया किया गया
		(ii) छोटी अथवा बड़ी शास्ति के लिए अंतिम कार्रवाई	पूर्णतया किया गया

**Transparency Audit of Disclosures u/s 4 of the Right to Information Act by the Public Authorities
(A FRAMEWORK FOR TRANSPARENCY AUDIT)**

The details in r/o Audit Point 1.11 till 10/05/2024 are as below:-

S. No.	Item	Details of Disclosure	Remarks/Reference Points (Fully met/partially met/not met - Not applicable will be treated as fully met/partially met)
1.11	No. of employees against whom Disciplinary action has been proposed/ taken (Section 4(2))- Nil	(i) Pending for Minor penalty or major penalty proceedings	Fully Met
		(ii) Finalised for Minor penalty or major penalty proceedings	Fully Met